अनवान गुरनाम सिंह बनाम दर्शन सिंह
वाद मुकदमा नं.109/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 109/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

....वादीगण

–:: बनाम –::

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री यशपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. यशपाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा ~~[illegible]~~	वादी
	अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	प्रतिवादी 1 ता 4
	पैरोकार राज	(प्रति.–5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.10.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 3 सी छोटी पटवार हल्का 3 सी छोटी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र. 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 171/15 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073–2076) का मुरब्बा नम्बर 61 की कुल 2.578 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम से 322/1289 हिस्सा यानि 0.644 हैक्टेयर कृषि भूमि व वादी संख्या 2 जसवन्त सिंह के नाम से 322/1289 हिस्सा यानि 0.644 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादीया संख्या 2 जसप्रीत कौर के नाम से 417/2578 हिस्सा यानि 0.417 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम से 114/1289 हिस्सा यानि 0.228 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादीया संख्या 3 मनप्रीत कौर के नाम से 417/2578 हिस्सा यानि 0.417 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 यशपाल सिंह के नाम से 114/1289 हिस्सा यानि 0.228 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89/55 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2073 – 2076) का मुरब्बा नम्बर 21 व 31 की कुल 1.644 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 जसप्रीत कौर के नाम से 133/411 हिस्सा यानि 0.532 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम से 145/822 हिस्सा यानि 0.290 हैक्टेयर कृषि भूमि व

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीया संख्या 3 मनप्रीत कौर के नाम से 133/411 हिस्सा यानि 0.532 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 यशपाल सिंह के नाम से 145/822 हिस्सा यानि 0.290 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 33/24 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–2076) का मुरब्बा नम्बर 21 22 की कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 गुरनाम सिंह के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर कृषि भूमि व वादी संख्या 2 जसवन्त सिंह के नाम से 1/2 हिस्सा यानि 1.6445 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादीगण एवंम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज उक्त भूमि वादीगण एवमं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है तथा पैतृक सम्पति है। वादीगण एवमं प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का आपस में घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एवमं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है:–

(1). गुरनाम सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन 3 सी छोटी देह खातेदार का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33/24 का मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.277 है० यानि 9 बीघा ।

(2) जसवन्त सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन 3 सी छोटी देह खातेदार का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की 1.012 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33/24 का मुरब्बा नम्बर 22 की कुल 1.265 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.277 है० यानि 9 बीघा ।

(1). दर्शन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह (2) यशपाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह (3) जसप्रीत कौर पत्नीं श्री दर्शन सिंह (4). मनप्रीत कौर पत्नी श्री यशपाल सिंह जातियान जटसिख साकिन देह खातेदार का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 171/15 का मुरब्बा नम्बर 61 की 2.578 है० नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89/55 का मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 10 व 11 की 0.379 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.957 है0 कृषि भूमि यानि 11 बीघा 13.5 बिस्वा ।

उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण एवमं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं तथा मौका पर वादीगण एवमं प्रतिवादीगण की फसले खड़ी है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, घरू बंटवारानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देंगे। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकवा में सुधार कार्य करवाए हैं। यह कि वादीगण पढ़े लिखे व अग्रणी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से किलावाईज अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 15.06.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र महक वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(1) यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 की उप मद संख्या 1 ता 3 के अनुसार घोषणात्मक एवमं विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

(20) राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाता कायम करने का तथा किलावाईज अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार से करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते हैं:–

(1). गुरनाम सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख नि0 3 सी छोटी का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 89/55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33/24 का मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 है0 कृषि भूमि, कुल 2.277 है० कृषि भूमि, बैंक रहन पूर्वानुसार रहेगा।

(2) जसवन्त सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन 3 सी छोटी का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 89/55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की 1.012 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33/24 का मु०न० 22 की 1.265 है0 कृषि भूमि, कुल 2.277 है0 भूमि बैंक रहन पूर्वानुसार रहेगा ।

(3). (1) दर्शन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह– हिस्सा 510/2957 (2). यशपाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह का हिस्सा – 510/2957 (3) जसप्रीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह हिस्सा 9685/29570 (4) मनप्रीत कौर पत्नी श्री यशपाल सिंह – हिस्सा 9685 / 29570 जातियान जटसिख साकिन 3 सी छोटी का हिस्सा:–

चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 171 / 15 का मुरब्बा नम्बर 61 की 2.578 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 10 व 11 की 0.379 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.957 है० कृषि भूमि, सम्बन्धित काश्तकार का बैंक रहन पूर्वानुसार रहेगा।

उक्त विभाजन पक्षकारान ने अपनी आपसी सहमति से, कब्जानुसार तथा भूमि के एकीकरण व खाला रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से राजीनामा के द्वारा किया गया है। जिसमें सभी पक्षकारान सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलाकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2073 –2076 ग्राम 3 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 171/15, जमाबंदी सम्वत्–2073 –2076 ग्राम 3 सी छोटी, पटवार क्षेत्र 3 सी छोटी, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 89/15 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम्

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमनें सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	गुरनाम सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख नि0 3 सी छोटी का हिस्सा:–(वादी संख्या 1)	चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33 / 24 का मुरब्बा नम्बर 21 की 2.024 है0 कृषि भूमि, कुल 2.277 है० कृषि भूमि,
2	जसवन्त सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन 3 सी छोटी का हिस्सा:–(वादी संख्या 2)	चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 1, 10, 11, 20 की 1.012 है0 कृषि भूमि व चक 3 सी छोटी का खाता संख्या 33 / 24 का मु०न० 22 की 1.265 है0 कृषि भूमि, कुल 2.277 हैं0
3	(1) दर्शन सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह– हिस्सा 510 / 2957(2). यशपाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह का हिस्सा– 510 / 2957 (3) जसप्रीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह हिस्सा 9685 / 29570(4) मनप्रीत कौर पत्नी श्री यशपाल सिंह – हिस्सा 9685 / 29570 जातियान जटसिख साकिन 3 सी छोटी का हिस्सा:–	चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 171 / 15 का मुरब्बा नम्बर 61 की 2.578 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89 / 55 का मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 10 व 11 की 0.379 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.957 हैं० कृषि भूमि,

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

अनवान गुरनाम सिंह बनाम दर्शन सिंह
वाद मुकदमा नं.109 / 2024

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner